भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

आदेश फलक

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 (ए) के अन्तर्गत

भू–वापसी वाद संख्या :– **04 / 2020–21**

सीता देवी, पिता– स्व0 भीम हँासदा उर्फ संथाला .... वादी,

–––बनाम–––

श्रीमती गीता देवी, पति– स्व0 बैजु राम प्रजापति .... प्रतिवादी

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
11-02-22	यह वाद सीता देवी, पिता– स्व0 भीम हॉसदा उर्फ संथाल, ग्राम– साण्डपुरा, थाना– घाटशिला, जिला– पूर्वी सिंहभूम के द्वारा श्रीमती गीता देवी, पति– बैजु राम प्रजापति, ग्राम– साण्डपुरा, थाना– घाटशिला को पक्षकार बनाते हुए अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत भू–वापसी वाद हेतु आवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, घाटशिला से जॉच प्रतिवेदन की मांग करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया।

वाद में सन्निहित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा
साण्डपुरा	109	34	31	3.25 डी0

उभय पक्ष की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से अपना अपना पक्ष रखा गया। अंचल अधिकारी, घाटशिला के द्वारा अब तक जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। आवेदक की ओर से दिनांक 03.11.2021 को List of Document दाखिल की गयी, जो अभिलेखबद्ध है। द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक 22.09.2021 को List of Document तथा दिनांक 03.11.2021 को Written Argument एवं पुनः दिनांक 26.07.2022 को Additional Written Argument दाखिल की गयी, जो अभिलेखबद्ध है।

प्रथम पक्ष द्वतीय पक्ष की ओर से दिनांक– 03.11.2021 को List of Documents के रूप में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया :–

01. Xerox copy cast certificate issued by c.o. dvm
02. Xerox copy of wpc 6624 of 2010 order dt17-12-2019
03. P/C of Genealogical Table of lt Bhim Santhal issued by Mukhiya of Junbani
04. P/C of Hariyana H/C on 21-05-2016.
05. P/C of Sale Deed No 463 dt 15-03-1996.

द्वितीय पक्ष द्वतीय पक्ष की ओर से दिनांक– 22.09.2021 को List of Documents के रूप में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया :–

c.c to 1st & last order is issued on ...

01. Xerox copy sale deed dt 09-01-2019.
02. Xerox copy Correction slip.
03. P/C of khatiyan of net generated.
04. P/C of rent receipt.
05. P/C of Sale Deed No 15-03-1996.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूना तथा अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका सीता देवी, पति– श्री उमेश चौधरी, ग्राम– साण्डपुरा, थाना– घाटशिला, जिला– पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा निबंधित विकी केवाला सं0– 463, दिनांक– 15.03.1996 के माध्यम से मौजा– साण्डपुरा, थाना न0– 109, खाता न0– 34, प्लॉट न0– 31, रकवा– 3.25 डी0 भूमि पूर्व रैयत श्रीमती मालती कुईला, पति– श्री जयंता कुईला से कय किया गया।

पुनः वही भूमि को वाद की आवेदिका सीता देवी, पति– श्री उमेश चौधरी के द्वारा निबंधित बिकी केवाला सं0– 47, दिनांक– 09.01.2019 के माध्यम से वाद की द्वितीय पक्ष को विकी किया गया है। जिसे अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा सं0– 1104/R27/2018–19, दिनांक– 30.03.2019 के माध्यम से नामान्तरण कर दिया गया एवं लगातार लगान का भुगतान किया जा रहा है।

इस वाद में सन्निहित निबंधित विकी केवाला सं0 463 दिनांक 15.03.1996 तथा केवाला सं0 47 दिनांक 09.01.2019 में वर्तमान आवेदिका सीता देवी की जाति भूमिहार अंकित है, जो सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक– 26.07.2022 को दाखिल की गयी Additional Written Argument इस वाद का भी उल्लेख किया गया है कि आवेदिका की मृत्यु दिनांक – 17.03.2022 को हो चुकी है। (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न)

अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता हैं कि इस वाद की आवेदिका सीता देवी, पति– उमेश चौधरी की मृत्यु के उपरान्त आवेदिका की ओर से पॉच माह बीत जाने के उपरान्त भी अबतक किसी व्यक्ति को आवेदिका की ओर से पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में वाद का औचित्य ही नहीं रह जाता है।

अतः अभिलेखबद्ध कागजातों एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस वाद को प्रविष्टि स्तर पर खारिज (Reject) किया जाता है।

विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण अदेश आज पारित किया ।

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.03.20 11:46:10 +05:30
Location: 192.168.1.33

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।